न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—29/2021 (2021/58) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गेहरीलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जेठमल पिता रंगलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मनु पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उषा पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पिंकी पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. अंजु पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नीतु पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रक्षा पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजबाई बेवा रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता भागीरथ ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता मोती ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता नारू महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रामी पत्नि देवीलाल जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हस्तीमल पिता धनराज महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मागु पिता पन्ना ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन, फतहलाल लौहार — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—01.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 121 में अकिंत आ.स. 1163 रकबा 0.12 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 भुमि अन्य आराजियात के साथ है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के [illegible]कील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त [illegible] आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद [illegible] रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी [illegible] है। प्रार्थीगण [illegible]क्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करा[illegible] बाबत् कहा लेकिन [illegible]ण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 17.02.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 15.03.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 व 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 5 के विरूद्व प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 121 में अकिंत आ.स. 1163 रकबा 0.12 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 भुमि अन्य आराजियात के साथ है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

1.4.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–29/2021 (2021/58) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गेहरीलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जेठमल पिता रंगलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मनु पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उषा पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पिंकी पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. अंजु पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नीतु पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रक्षा पिता रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजबाई बेवा रोशनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता भागीरथ ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता मोती ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता नारू महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रामी पत्नि देवीलाल जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हस्तीमल पिता धनराज महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मागु पिता पन्ना ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 01.04.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 121 में अकिंत आ.स. 1163 रकबा 0.12 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 भुमि अन्य आराजियात के साथ है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे [illegible] नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तु[illegible]

हुक्मनामा आज दिनां[illegible].04.2021 को [illegible] एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

1.4.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)